

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/19


जयपुर, दिनांक: 19.07.2019

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	बालेन्द्र पाण्डे	संयुक्त विधि परामर्शी कार्यालय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	संयुक्त विधि परामर्शी कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	यथावत
2.	धर्मपाल उप विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी नगर निगम जयपुर	उपनिदेशक, विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	रिक्त पद पर
3.	उमेन्द्र कुमार गोयल	उप विधि परामर्शी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी नगर निगम जयपुर	श्री धर्मपाल के स्थान पर
4.	गजेन्द्र सिंह जाट (चौधरी) वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	यथावत्
5.	अशोक वर्मा वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी दिल्ली-मुम्बई-इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर विभाग, उद्योग भवन, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध
6.	हिमांशु शर्मा	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी दिल्ली-मुम्बई-इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर विभाग, उद्योग भवन, जयपुर	श्री अशोक वर्मा के स्थान पर

आज्ञा से




(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


19-7-19
संयुक्त शासन सचिव